an>

Title: Regarding cases of human trafficking and child labour in the country especially in Bihar, West Bengal, Jharkhand and Karnataka.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही घृणित कार्य हमारे देश में दिनों-दिन पनपता जा रहा है। एक तरफ हम मंगलयान की बात करते हैं, जमाना मॉडर्नाइज हो रहा है, लड़के-लड़कियां सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मानव तस्करी की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की हो रही है। हमारे सत्यार्थी जी, नोबल पुरस्कार विजेता ने भी इस बात को कहा कि घरेलू काम-काज और वैश्यावृति का जो कारोबार है।

13.00hrs

अगर आप कम्पेरिजन करेंगे तो हमारे देश सबसे बड़ा कारोबार पनपता चला रहा है। अगर आप उसे रुपयों में तौलेंगे तो यह 21 लाख करोड़ रुपये का कारोबार देश में चल रहा है। यह हमारे देश की कुल जीडीपी का पांचवां हिस्सा है, जो इस कारोबार में लगा हुआ है। हर साल चार हजार बच्चे गुमशुदा होते हैं, जिसमें 11 हजार बच्चों का पता नहीं चलता, क्योंकि वह मानव तस्करी में चला जाता है। मोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेन्शन एक्ट, 1956 की चर्चा चल रही है, जिसमें वेश्यावृति में फंसी महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान है। लेकिन हमारे समाज में कैंसर की तरह मानव तस्करी की जो जड़ें फैली हुई हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे कम किया जाए। मेरा क्षेत्र नेपाल, बिहार और बंगाल का बार्डर एरिया है। करेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यह बच्चे और बच्चियों का सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग अड्डा बनता जा रहा है। खासकर बाढ़ के वक्त बच्चे गायब हो जाते हैं, जिनका कोई पता नहीं चलता। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें लोकल पुलिस से लेकर, प्रशासन से लेकर even some politicians are involved. इसमें जो इन्वोल्व हैं, जिसके बारे में भी तस्करी का पता चले, उन पर सरकार द्वारा उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूं।